HOUSING AND LAND RIGHTS NETWORK

प्रेस रिलीज़

नई दिल्ली, 9 अप्रैल 2019

नए रिपोर्ट के अनुसार 2018 में 200,000 से भी ज्यादा लोग विस्थापित हुए; रोजाना 114 से ज्यादा घर तोड़े किये गए, हर घंटे 23 लोग विस्थापित हुए: भारत में जबरन बेदखली और बलपूर्वक विस्थापन का संकट अब भी जारी है

आज नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में **हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क (एच.एल.आर.एन.)** ने अपने दो नए प्रकाशनों का विमोचन किया: ***फोर्स्ड इविक्शन्स इन इंडिया इन 2018: ऍन अनअबेटिंग नॅशनल क्राइसिस*** और ***ऐडजुडिकेटिंग द ह्यूमन राइट टू ऐडेक्वेट हाउसिंग: ऐनैलिसिस ऑफ़ इम्पोर्टेन्ट जज्मेंट्स फ्रॉम इंडियन हाई कोर्ट्स***.

इन रिपोर्ट्स के विमोचन के बाद एक पैनल डिस्कशन हुआ जिसमे डॉ उषा रामनाथन (कानून, गरीबी और हकों के विधिशास्त्र की शोधकर्ता), श्री मिलून कोठारी (पर्याप्त आवास के पूर्व यू. एन. स्पेशल रैपोर्तिएर), सुश्री वनेसा पीटर (पौलिसी रिसर्चर, *इनफार्मेशन एंड रिसोर्स फॉर द डिप्राइव्ड अर्बन कम्युनिटी*, चेन्नई), सुश्री बीना जाधव (संस्थापक, रहेथन अधिकार मंच/ *हाउसिंग राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स ग्रुप, गुजरात)* एवं सुश्री शिवानी चौधरी (कार्यकारी निदेशक, हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क) जैसे मानवीय अधिकार कार्यकर्ताओं तथा स्वंतंत्र विशेषज्ञों ने हिस्सेदारी की. भारत में विस्थापन और ज़मीन से बेदखल किये जाने के संकट के विभिन्न पहलुओं पर तथा आवास एवं ज़मीन के हकों का उल्लंघन करने और उन्हें बचाने में न्यायपालिका और अन्य सरकारी संस्थाओं की भूमिका पर चर्चा की गयी. शाहबाद डेरी और मानसरोवर पार्क से आये श्री देव सिंह और एक युवती जैसे कुछ प्रभावित लोगों ने केंद्र सरकार की एजेंसियों द्वारा उनके घर गिराए जाने के दौरान और उन्हें विस्थापित किये जाने के बाद हुए कई मानव अधिकारों के उल्लंघन की दास्तान सुनाई.

2018 में एच.एल.आर.एन. के ***नेशनल इविक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑब्जर्वेटरी*** द्वारा इकठ्ठा किये गए तथ्य इस चौका देने वाली जानकारी को सामने लाते हैं कि केंद्र और राज्य प्राधिकारियों ने मिलकर भारत के शहरी तथा ग्रामीण भागों से न्यूनतम 202,200 (2 लाख) लोगों को बलपूर्वक विस्थापित किया है. हालाकि यह संख्या भी चौका देने वाली है लेकिन यह तो सिर्फ एच.एल.आर.एन. को ज्ञात हुई घटनाओं पर आधारित है. यानि 2018 में विस्थापित या बेदखल हुए लोगों की वास्तविक संख्या इससे बहुत ज्यादा होने की सम्भावना है. इसके अतिरिक्त एच.एल.आर.एन. ने यह जानकारी भी जुटाई है कि पूरे देशभर में लगभग 11.3 मिलियन लोगों के बलपूर्वक विस्थापन की आशंका है.

2018 में एच.एल.आर.एन. ने जो जानकारी दर्ज की है उसके अनुसार कम से कम 41,730 घरों को तोड़ दिया गया है और कम से कम 202,233 लोगों को विस्थापित किया गया है. यानि राजकीय प्राधिकारियों ने रोजाना 114 से ज्यादा घर नष्ट किये जिसकी वजह से रोज 554 लोग विस्थापित हुए या हर घंटे 23 लोग विस्थापित हुए.

2018 में भारत में किये गए बलपूर्वक विस्थापन पर एच.एल.आर.एन. द्वारा किये गए अध्ययन के कुछ प्रमुख तथ्य:

1. **निम्न आय वाले समूहों का बलपूर्वक विस्थापन और उनके घरों को तोड़ गिराने की प्रक्रिया शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में हुई.**

2. **बलपूर्वक विस्थापन कई कारणों से और कई बहानों के तहत किया गया है**

हालांकि प्रशासन विस्थापन के लिए कोई कारण नहीं देता फिर भी 2018 में हुए बलपूर्वक विस्थापन में से 218 दर्ज किये गए मामलों का विश्लेषण करने के बाद एच.एल.आर.एन. ने प्रशासन द्वारा लोगों को अपने घर-द्वार से बेदखल करने की वजहों को चार श्रेणियों में बाँट दिया.

i. **"झुग्गी झोपड़ी हटाओ/ अतिक्रमण के विरोध में/ शहर के सौन्दर्यीकरण के लिए अभियान**" और "झुग्गी झोपड़ी मुक्त" शहर बनाने के इरादे से किये गए प्रयास (47% प्रभावित लोग/ **94,000** लोग);
ii. **शहरी संरचना बढ़ाने के लिए या "विकास" परियोजनाओ** के लिए जैसे – सड़कों/ महामार्गों को बनाना, आवास बनाना या फिर 'स्मार्ट सिटी' बनाना (26% प्रभावित लोग/ **52,200** लोग)
iii. **पर्यावरण संबंधित परियोजनाए, वन संरक्षण तथा वन्य जीवन का संरक्षण** (20% प्रभावित लोग/ **40,600** लोग) और ;
iv. **विपदाओं का प्रबंधन** (8% प्रभावित लोग/ **15,200** लोग)

यह स्पष्ट है कि 2018 में किया गया ज्यादातर विस्थापन किन्ही असाधारण या विशिष्ट परिस्थितियों के कारण नही किया गया था जब कि संयुक्त राष्ट्र (यू.एन.) द्वारा बनाये गए नियमों (Basic Principles and Guidelines on Development-based Evictions and Displacement) के अनुसार यह जरूरी है.

देशभर में शहरों में रहने वाले गरीबों के घर अभी भी अवैध या अतिक्रमण माने जाते हैं. इसीलिए ज्यादातर मामलों में वे प्रशासन के समर्थन से तोड़ दिए जाते हैं. गरीबों के घर तोड़कर "झुग्गी-झोपडी मुक्त" नीतियों का कार्यान्वयन न सिर्फ उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन है बल्कि झुग्गी-झोपडी मुक्त शहर बनाने की बुनियादी शर्तों के भी खिलाफ जाता है जो गरीबों कि जीवन परिस्थितियों को सुधारने की बात करती हैं. इसके अलावा यह धारणा कि शहर के सौन्दर्यीकरण का मतलब शहर के कुछ हिस्सों से गरीबों को हटाना होता है, अपने आप में, हाशिये पर जी रही आबादी के प्रति गहरे पूर्वाग्रह को दर्शाता है.

ढांचागत संरचना से जुडी तथा खयाली 'विकास' की परियोजनाए शहरी तथा ग्रामीण गरीबों को विस्थापित करती जा रही हैं. ज्यादातर मामलों में न तो उचित प्रक्रिया लागू की जाती है न कोई मुआवज़ा दिया जाता है. 2018 में सड़कों या महामार्गों के निर्माण के लिए या सड़के चौड़ी करने के लिए 5,400 परिवारों को विस्थापित किया गया और 2,400 लोगों को कथित आवासीय योजनाए लागू करने के लिए विस्थापित किया गया. स्मार्ट सिटीज अभियान के तहत 100 में से 34 'स्मार्ट सिटीज' में विस्थापन किया गया. हालांकि 'स्मार्ट सिटीज' के कारण हुए विस्थापन का ठीक-ठीक पता लगाना मुश्किल है, फिर भी एच.एल.आर.एन. द्वारा की गयी जाँच के अनुसार 'स्मार्ट सिटी' परियोजनाओ के कारण 17,700 लोग अपना घर खो बैठे हैं.

कई जगहों पर कथित पर्यावरण संबंधित परियोजनाओ को लागू करने के लिए और वनों और वन्य जीवन के संरक्षण के नाम पर कई लोगों को बलपूर्वक विस्थापित किया गया. इसके चलते देशभर में 40,600 लोगों को विस्थापित किया गया. विपदा प्रबंधन की आड़ में कूम नदी के पुनरुद्धार के तहत तमिल नाडू सरकार ने चेन्नई में 2018 में 3,181 घर नष्ट किये. 2016 से लगभग 8,000 घरों को तोड़ दिया गया है और बेघर हुए परिवारों को शहर के बाहरी हिस्से में बसने के लिए छोड़ दिया गया है.

3. दर्ज किये गए लगभग सभी मामलों में राजकीय प्रशासन ने किन्ही राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन नहीं किया है.

ज्यादातर मामलों में प्रभावित लोगों को न तो विस्थापन की कोई सूचना दी गयी नाहि घरों से सामान हटाने के लिए पर्याप्त समय. बलपूर्वक विस्थापन पूरे सालभर होते रहे हैं और बहुत सख्त मौसमी परिस्थितियों में भी लोगों को बख्शा नहीं गया. एच.एल.आर.एन. द्वारा किये गए एक विश्लेषण में यह पाया गया कि ज्यादातर विस्थापन सख्त गर्मियों या सर्दियों में किया गया है. प्रशासन कई बार स्कूली परीक्षाओं के ठीक पहले लोगों को विस्थापित कर देता है जिसकी वजह से बच्चों को पढने और इम्तिहान देने में बहुत कठिनाई होती है. चेन्नई में 70% विस्थापन के मामले बच्चों की छह माहि परीक्षाओं के ठीक पहले हुए हैं. मुंबई के तानसा पाइपलाइन से विस्थापित परिवारों के भी शिक्षा के अधिकार का हनन हुआ है क्योंकि उन्हें शैक्षिक साल के ठीक बीच में ही विस्थापित किया गया.

4. पर्याप्त पुनर्वास का अभाव

एच.एल.आर.एन. द्वारा किया गया संशोधन यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि विस्थापित किये गए ज्यादातर लोगों को प्रशासन द्वारा पुनर्स्थापित नहीं किया गया है. एच.एल.आर.एन. ने पता लगाया कि जिन 173 जगहों के बारे में पुनर्वसन की जानकारी उपलब्ध है उनमे से केवल 53 प्रभावित क्षेत्रों में किसी प्रकार का पुनर्वसन या वैकल्पिक आवास लोगों को प्रदान किया गया है. केवल 2 प्रतिशत मामलों में मुआवजा प्रदान किया गया.

अतः प्रभावित लोगों को वैकल्पिक आवास के लिए या तो खुद ही इन्तजाम करना पड़ता है या बेघर होकर जीना पड़ता है. चेन्नई, दिल्ली और मुंबई में जिन्हें प्रशासन से किसी प्रकार का पुनर्वसन मिला भी है वह बहुत दूर दराज और अपर्याप्त किस्म की आवासीय व्यवस्था है.

आवास के लिए पात्रता और वैधता जैसे त्रुटिपूर्ण मानदंड इस्तमाल करके स्थानीय सरकारों ने बहुत सारे लोगों को आवास की सुविधा से वंचित रखा है. साथ ही शहरी गरीबों को दबाव डालकर शहर के बाहरी छोर पर बसने के लिए मजबूर किया जा रहा है. इन सब कारणों से पूरे देशभर में ऐसे लोगों की संख्या दिन ब दिन बढती जा रही है जिन्हें असुरक्षित और अपर्याप्त परिस्थितियों में जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है. बेघर होने वालों की संख्या भी बढती जा रही है.

5. विस्थापन के सभी मामलों में लोगों के कई मानवाधिकारों को कुचला गया है

विस्थापन के पहले, उसके दौरान और उसके बाद जो प्रक्रियाए लागू की गयी हैं उसके चलते प्रभावित लोगों के अनेक मानवाधिकारों का हनन हुआ है. इनमे जीने का अधिकार, उचित आवास का अधिकार, ज़मीन, काम/ उपजीविका, स्वास्थ्य, खाना, पानी, सफाई, शिक्षा, व्यक्ति एवं घर की सुरक्षा, सूचना, भागीदारी तथा आवाजाही और रहने की जगह की स्वतंत्रता ये सभी मानवाधिकार शामिल हैं. दिल्ली और पुणे में हुई कुछ घटनाओ में विस्थापन के बाद लोगों की मौत तक हुई है क्योंकि उन्हें खुले में रहना पड़ा. मणिपुर और दिल्ली में विस्थापन के दौरान पुलिस द्वारा जोर-जबरदस्ती किये जाने की रिपोर्ट भी है.

6. केंद्र और राज्य सरकार दोनों के प्रशासन ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है

रिपोर्ट में दर्ज की गयी विस्थापन और घर तोड़ने की घटनाएँ न सिर्फ भारत के संविधान के खिलाफ जाती हैं बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का भी उल्लंघन करती हैं. वे कई नीतियों और अंतरराष्ट्रीय मानकों को भी भंग करती हैं और 'सब के लिए आवास – 2022 योजना' या 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के उद्धेश्यों के भी खिलाफ जाती हैं.

7. 2018 में विस्थापित ज्यादातर लोगों को न्याय मिलना मुश्किल है और कारगर उपाय का हक़ उन्हें उपलब्ध नहीं हुआ है

यद्यपि उच्चतम न्यायलय तथा कई राज्यों के उच्च न्यायालयों ने कई फैसलों द्वारा आवास के हक को जीने के मूल अधिकार का अविभाज्य अंग घोषित किया है फिर भी एच.एल.आर.एन. ने बलपूर्वक विस्थापन के 27 ऐसे मामले दर्ज किये हैं जो न्यायालय के आदेशों के अंतर्गत किये गए हैं. इन आदेशों के चलते चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर, मुंबई, पटना, प्रयागराज, श्रीनगर और अन्य कई जगहों को मिलाकर 52,000 लोगों को विस्थापित किया गया.

8. पूरे भारत में कम से कम 11.3 मिलियन लोग विस्थापन और घर-द्वार से बेदखल होने के खतरे का सामना कर रहे हैं जिसके पीछे ढांचागत संरचना से जुडी परियोजनों से लेकर कई अन्य कारण है

भावी विस्थापन के लिए ढांचागत संरचना के निर्माण से लेकर वन संरक्षण तक; नदी-नालों के पुनरुद्धार से लेकर कोर्ट के आदेशों को लागू करने तक; और "अतिक्रमण" हटाने से लेकर पर्यटन विकास तक अनगिनत कारण हैं.

एच.एल.आर.एन. ने अपने रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है कि अक्सर कोर्ट द्वारा ही विस्थापन के आदेश दिए गए हैं. इसके विपरीत कई मामलों में भारतीय न्यायपालिका ने आवास के हक़ को सुरक्षित रखते हुए बलपूर्वक विस्थापन से लोगों को बचाया भी है.

एच.एल.आर.एन की नयी रिपोर्ट - ***ऐडजुडिकेटिंग द ह्यूमन राइट टू ऐडेक्वेट हाउसिंग: ऐनैलिसिस ऑफ़ इम्पोर्टेन्ट जज्मेंट्स फ्रॉम इंडियन हाई कोर्ट्स*** (***Adjudicating the Human Right to Adequate Housing: Analysis of Important Judgments from Indian High Courts***) - में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा पर्याप्त आवासीय सुविधा के मानवाधिकार का समर्थन करने वाले प्रगतिशील फैसलों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है.
अधिकारों पर आधारित आवासीय कानूनों तथा नीतियों के अभाव में आवास के हक़ को न्यायसंगत तरीके से लागू करने की सम्भावना बहुत सीमित हो जाती है. इसीलिए यह नई रिपोर्ट अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें ऐसे कई मामले दर्ज किये गए हैं जिनमे न्यायपालिका ने इस बात को स्वीकारा है कि निम्न आय वाले लोग जिन परिस्थितियों में जीते हैं वे अपर्याप्त हैं. साथ ही इस बात पर जोर दिया गया है कि उनके आवासीय और अन्य हकों को पहचानने और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी प्रशासन की है. एच.एल.आर.एन. के इस नए प्रकाशन में आवासीय हक़ के विभिन्न पहलुओं को लागू करने के दौरान आये उतार चढ़ावों को प्रस्तुत किया गया है. साथ-साथ आवास के हक़ के बारे में फैसले सुनाते वक़्त भारतीय न्यायपालिका के असंगत नज़रिए पर भी रौशनी डाली गयी है. आवास के हक़ की मानवाधिकार के रूप में पुष्टी होने के बाद भी, हाशिये पर जी रहे लोगों को जो मुआवजा दिया जाता है वह बहुत सीमित होता है. आवास के हक़ के इर्द गिर्द विधिशास्त्र को और विकसित करने के लिए और भारत में कानूनी मिसालों के इस्तमाल को और मजबूती प्रदान करने के लिए इस प्रकाशन को एक संसाधन के रूप में देखा जा रहा है.

सुझाव:

विस्थापन और बेदखल होने के राष्ट्रीय संकट की गंभीरता और विस्तार को देखते हुए और क्योंकि इन घटनाओ के परिणामस्वरूप मानवाधिकारों का भयंकर हनन हो रहा है **एच.एल.आर.एन. केंद्र और राज्य सरकारों को निम्नलिखित सुझाव पेश करता है**:

1) प्रभावित लोगों को पर्याप्त पुनर्वसन और मुआवजा उपलब्ध कराके उनके मानवाधिकारों के हनन की क्षतिपूर्ति करने के लिए तात्कालिक कदम उठाये जाये; उनके घरों, उपजीविका, मूलभूत सेवाओं तथा शिक्षा को पुनःस्थापित किया जाय और जहाँ संभव हो उनके मूल निवास स्थान पर लौटने के लिए उनकी मदद की जाये.

2) बलपूर्वक विस्थापन की घटनाओ की जाँच की जाये और कानून तथा मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए दोषी पाए गए लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाये.

3) पर्याप्त आवासीय सुविधा के मानवाधिकार का समर्थन करके उसे लागू किया जाय तथा 'पर्याप्त आवासीय सुविधा' के यु.एन. द्वारा बनाये गए मानकों को सभी नए आवासों, आवासीय सुधारों और पुनर्विकास योजनाओं में लागू किया जाये.

4) शहरी तथा ग्रामीण गरीबों के ज़मीन पर हक़ को मान्यता दी जाये और उन्हें अपने निवास स्थान पर रहने की सुरक्षा प्रदान करो ताकि उन्हें कोई अस्वेछाधारी ढंग से विस्थापित या बेदखल न कर सके.

5) कम कीमत वाले घर बनाने पर पर्याप्त निवेश किया जाये और कम किराये पर भी घर दिए जा सके इसपर ध्यान केन्द्रित किया जाये. 'अफोर्डेबल हाउसिंग' की ठीक से व्याख्या किया जाये.

6) यू.एन. स्पेशल रेपोर्तिएर की पर्याप्त आवासीय सुविधा पर दी गयी सलाह के अनुसार भारत में विस्थापन और घरों को तोड़ने पर राष्ट्रीय स्तर पर रोक लगायी जाए.

7) सभी राज्य और केन्द्रीय स्तर की आवासीय योजनाओं के तहत घरों और जमीनों के आबंटन के दौरान प्राथमिक तौर पर उन परिवारों की सहायता करें जिन्हें विस्थापित या बेघर किया गया है या जिनके पास न घर है न ज़मीन.

8) किसी भी ढांचागत निर्माण, पुनर्विकास, सुधार या पुनर्वसन की परियोजना को लागू करने के पहले इस बात को निश्चित किया जाये कि सभी प्रभावित लोगों को पूरी जानकारी देकर बिना किसी दबाव के उनकी पूर्व सहमती ली गयी है.

9) किसी भी योजना को लागू करने के पहले राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार मानवाधिकारों पर आधारित 'विस्थापन से होने वाले असर का अनुमान' ठीक से लगायी जाये. तमाम तथ्यों को इकठ्ठा करके औरतों और बच्चों पर होनेवाले उसके विशिष्ट प्रभाव को लिखित रूप से दर्ज की जाये. पर्यावरण/ सामाजिक/ विस्थापन से होने वाले संभावित असर की सभी सूचनाओं को सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध करें.

10) सभी राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर की योजनाओं को लागू करते समय मानवाधिकारों और सामाजिक न्याय पर आधारित नजरिया अपनाया जाये और विस्थापन तथा मानवाधिकारों के हनन पर रोक लगे.

11) आवासीय हक़ का समर्थन करने वाले कानूनों और न्यायलय के फैसलों को लागू किया जाये और हमारे राष्ट्रीय और राज्य स्तर के कानूनों तथा नीतियों में अंतरराष्ट्रीय मार्गदर्शक सिद्धांतों को शामिल किया जाए जिसमे 'यू.एन. 'बेसिक प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइन्स ऑन डेवलपमेंट बेस्ड इविक्शन्स एंड डिस्प्लेसमेंट' (UN Basic Principles and Guidelines on Development-based Evictions and Displacement) भी शामिल हो.

12) यू.एन. की सभी मानवाधिकार संस्थाओं के सुझावों को लागू किया जाए जिसमे यू.एन. स्पेशल रेपोर्तिएर की पर्याप्त आवासीय सुविधा पर बनाई गयी इंडिया रिपोर्ट भी शामिल हो. तीसरे यूनिवर्सल पीरियाडिक रिव्यु के दौरान भारत को दिए गए सुझावों को भी लागू किया जाये, खास करके वे सुझाव जो सबको पर्याप्त आवास देने की बात करते हैं.

भारत में कहीं भी हो रहे बलपूर्वक विस्थापन, शहरी तथा ग्रामीण गरीबों के घरों का तोड़े जाने, उन्हें बेदखल किये जाने और बलपूर्वक किये गए पुनर्वसन की सभी घटनाओ की भर्त्सना करते हुए एच.एल.आर.एन. यह उम्मीद करता है कि ऊपर दिए गए सुझावों को लागू किया जायेगा. वह यह भी उम्मीद करता है कि सभी राजनीतिक पार्टियाँ एवं प्रशासनीय और गैर

प्रशासनीय व्यक्ति, बलपूर्वक विस्थापन की इस असंवैधानिक और अनैतिक प्रक्रिया को रोकने के लिए त्वरित कदम उठाएंगे; क्योंकि इससे न सिर्फ कई मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है बल्कि देश के भविष्य पर भी इसके हानिकारक परिणाम होंगे. भारत के आम चुनाव की पूर्वसंध्या पर सबके लिए आवास तथा ज़मीन के हक़ का समर्थन करने के महत्व को समझना जरूरी है.

एच.एल.आर.एन. उम्मीद करता है कि उनकी ये नई रिपोर्ट्स विभिन्न लोगों के लिए उपयोगी साबित होंगी और पर्याप्त आवास के मानवाधिकार को स्थापित करने में मददगार होंगी क्योंकि यह वह अधिकार है जो सबको सुरक्षित घर और बिरादरी का हक़ प्रदान करता है जहाँ वे सुरक्षित, शांति से और गरिमा के साथ जी सके.

Forced Evictions in India in 2018: An Unabating National Crisis:
http://hlrn.org.in/documents/Forced_Evictions_2018.pdf

Adjudicating the Human Right to Adequate Housing: Analysis of Important Judgments from Indian High Courts: http://hlrn.org.in/documents/Housing_Judgments.pdf

---

For more information:

Shivani Chaudhry: 9818205234 | Deepak Kumar: 9971928737 | Aishwarya Ayushmaan: 9831943885

Housing and Land Rights Network
G-18/1 Nizamuddin West, New Delhi – 110013, India
+91-11-4054-1680 | contact@hlrn.org.in | www.hlrn.org.in | @HLRN_India